दूर करके, एक उचित शासन व्यवस्था की स्थापना की, इसी तरह से वह एक महान विजेता ही नहीं अपितु एक कुशल शासनकर्ता एवं सुप्रबन्धक भी था। अपने राज्यों को एक सूत्र में बाँधने का कार्य उसके सफल प्रयासों में से एक था। उसके शासन का मुख्य आधार गुप्तकालीन शासन व्यवस्था थी। उसने प्रजाहित की भावना भरी हुई थी तथा वह व्यक्तिगत स्वार्थ का परित्याग कर हमेशा प्रजाहित में लगा रहता था। इतना ही नहीं, साथ ही वह समय-समय पर साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों का भी दौरा किया करता था तथा प्रजा के कष्टों के निवारण के लिए समुचित व्यवस्था करता था और इसका एक मात्र कारण था की वह अपनी प्रशासन का स्वयं धुरी था।

अतः ह्वेनसांग बताता है की वह बहुत ही परीश्रमी भी था। उसके लिए दिन बहुत ही छोटा हुआ करता था।

यह कहा जाता है की हर्षवर्धन का शासन एक निरंकुश शासन था, किन्तु लोगों को अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत सारा स्वशासन प्राप्त था, अधिकांश कार्य ग्रामीण समुदायों के हाथ में था। केन्द्रिय सरकार एवं ग्राम सभाओं में सहयोग प्राप्त था अतः सब मिलकर हर्षवर्धन का प्रशासन निरंकुश तथा गणतन्त्रीय तत्वों का मिश्रण था।

2. Position of King ; राजा की स्थिती :

परम्परा के अनुसार राजा शासन का उच्च अधिकारी समझा जाता था, साथ ही साथ, प्रजा भी राजा को देवता के समान समझती थी। राजा जिसको परमभट्टारक, परमेश्वर, परमदेवता महाराजाधिराज, शिलादित्य, सर्वदेवतारमिवेकत्र, आदि महत्वपूर्ण उपाधियों से विभूषित किया जाता था, शासन का सर्वेसर्वा माना जाता था। वह न्याय सेना या सर्वोच्च अधिकारी था। हर्षवर्धन शासन प्रबन्ध में स्वयं भाग लेकर सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था। वह अशोक की ही तरह धार्मिक एवं आदर्श भावनाओं से प्रेरित था, अतः वाणभट्ट ने उसके बारे में बताया है की - हर्ष लौकिक धर्म स्मृतिकारकों के निर्देश तथा प्रचलित रीति रिवाजों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करता था। उसके सभी कार्य राजधर्म के सिद्धान्त के अनुकूल ही हुआ करतें थें। साथ ही साथ प्रजा के हित को वह अपना हि हित समझता था।

इस तरह से शासन का सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण राजा हर्ष को बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थें या किये गये थें।

इन सभी के आधार पर वह शासन प्रबन्धक था शासन प्रबन्धन को सुचारू रूप से चलाता था।